मास्टर परिपत्र - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 1976 - भारत में संघों/संस्थाओं द्वारा विदेशी अंशदानों की प्राप्ति को विनियमित करने में बैंकों के दायित्व

प्रयोजन

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 (एफसीआरए 1976) भारत में संघों/संस्थाओं के खातों में जमा करने के लिए विदेशी आवक प्रेषणों की स्वीकृति के संबंध में बैंकों पर कतिपय दायित्व आरोपित करता है । विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अधीन भारत सरकार ने कुछ संघों/संस्थाओं को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया है । साथ ही, उक्त अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि राजनीतिक स्वरूप का कोई भी संगठन, राजनीतिक दल न होते हुए भी, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं कर सकता है । अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जिन एसोसिएशनों का एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम है, उन्हें किसी प्रकार का विदेशी अंशदान प्राप्त करने से पूर्व स्वयं को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में पंजीकृत कर लेना चाहिए ।

रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनमें बैंकों को यह सूचित किया गया है कि एसोसिएशन/संस्था के खातों में जमा करने के लिए विदेशी अंशदान स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित एसोसिएशन/संगठन गृह मंत्रालय में पंजीकृत है या उसे ऐसे विदेशी अंशदान प्राप्त करने की उनकी पूर्व अनुमति है जैसा कि उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित है तथा नामित शाखाओं के अलावा कोई अन्य शाखा विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं करती है । बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे ऐसे विदेशी अंशदान की प्राप्ति की छमाही रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजें । इस मास्टर परिपत्र में इस संबंध में समय-समय पर बैंकों को जारी सभी अनुदेश समेकित किये गये हैं ।

पिछले अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र द्वारा जारी अनुदेश विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम ,1976 - भारत में संघों/संस्थाओं द्वारा विदेशी अंशदानों की प्राप्ति को विनियमित करने में बैंकों के दायित्व के संबंध में बैंकों को जारी सभी अनुदेशों को समेकित करते हैं । अनुबंध-1 में ऐसे परिपत्रों/अनुदेशों की एक सूची दी गयी है जिन्हें इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है।

प्रयोज्यता

ये अनुदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सभी वित्तीय संस्थाओं पर लागू हैं ।

विन्यास

1. प्रस्तावना

1.1 बैंकों द्वारा विदेशी दान स्वीकार करने की शर्तें

2. दिशानिर्देश

2.1 विदेशा अंशदान
2.2 विदेशी स्रोत
2.3 सामान्य
2.4 विदेशी अंशदान प्राप्त करने की प्रक्रिया
2.5 केंद्र सरकार को आवधिक सूचना देना
2.6 पायी गयी सामान्य अनियमितताएं

3. अनुबंध

4. छमाही विवरण का फार्मेट

1. प्रस्तावना

1.1 बैंकों द्वारा विदेशी दान स्वीकार करने की शर्तें

बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे एफसीआरए, 1976 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करें । उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार यह निर्धारित है कि कोई भी चुनाव का उम्मीदवार; पंजीकृत समाचार पत्र का संवाददाता, स्तंभलेखक, व्यंग्यचित्रकार, संपादक, स्वामी, मुद्रक अथवा प्रकाशक; न्यायाधीश, सरकारी नौकर अथवा किसी निगम के कर्मचारी; किसी विधानमंडल के सदस्य; राजनीतिक दल अथवा उसके पदधारी, कोई भी विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं करेगा/करेंगे । उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (क) तथा (ख) में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार पूर्वोक्त धारा 4 में उल्लेख न किये गये किसी एसोसिएशन अथवा किसी भी व्यक्ति को कोई विदेशी अंशदान स्वीकार करने से रोक सकती है अथवा किसी भी एसोसिएशन द्वारा किसी प्रकार के विदेशी अंशदान को स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक बना सकती है । ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा 5 में यह भी प्रावधान है कि राजनीतिक स्वरूप का कोई भी संगठन, राजनीतिक दल न होते हुए भी, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं कर सकता है । अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जिन एसोसिएशनों का एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम है, उन्हें किसी प्रकार का विदेशी अंशदान प्राप्त करने से पूर्व स्वयं को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, में पंजीकृत करवा लेना चाहिए ।

ऐसे विदेशी अंशदान केवल उस नामित बैंक शाखा के माध्यम से ही प्राप्त किये जाएँ, जिसका नाम गृह मंत्रालय को पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन में विनिर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम में इसके अतिरिक्त यह भी निर्धारित किया गया है कि धारा (6) की उप-धारा (1) में संदर्भित कोई भी तथा प्रत्येक एसोसिएशन, यदि उसे केंद्र सरकार में पंजीकृत **नहीं** किया गया है तो, केवल केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद ही विदेशी अंशदान स्वीकार कर सकता है ।

2. दिशानिर्देश

2.1 विदेशी अंशदान

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 2(1) (ग) के अंतर्गत विदेशी अंशदान का अर्थ विदेशी स्रोत से निम्नलिखित के दान, सुपुर्दगी या अंतरण से है :

(i) ऐसी किसी वस्तु का जो किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपहार के तौर पर न दी गयी हो, बशर्ते भारत में ऐसे उपहार देने की तारीख को उक्त वस्तु का बाज़ार मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो,

(ii) किसी मुद्रा का, चाहे भारतीय हो या विदेशी

(iii) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (i) में दी गयी परिभाषा के अनुसार किसी विदेशी प्रतिभूति का ।

व्याख्या :

इस खंड में उल्लिखित वस्तु, मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का ऐसे व्यक्ति द्वारा दान, सुपुर्दगी या अंतरण भी इस खंड के अर्थ के भीतर विदेशी अंशदान माना जाएगा, जिसने उसे किसी विदेशी स्रोत से सीधे या किसी एक या अधिक व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त किया हो ।

अतः, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे दान भी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 1976 के अंतर्गत 'विदेशी अंशदान' माने जाएंगे जो भारतीय रुपया मुद्रा में हैं लेकिन जो भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिकों सहित विदेशी स्रोत से प्राप्त हुए हैं अथवा जिसमें विदेशी अंशदान के प्रथम प्राप्तकर्ता द्वारा देश के भीतर अन्य संगठन/ संगठनों को निधि अंतरित की गयी है । इसके अलावा, विदेशी अंशदान से की गयी जमाराशि पर अर्जित ब्याज भी उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'विदेशी अंशदान' माना जाएगा । यदि उपर्युक्त प्रकार के 'विदेशी अंशदान' को संगठन के नामित खाते में जमा नहीं किया जाता है तो इसे अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा अधिनियम के अंतर्गत संगठन के विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई की जा सकती है । अतः बैंकों को सामान्यतः किसी ऐसी संस्था के नामित बैंक खाते में किसी 'विदेशी अंशदान' की वैध राशि को जमा करने से इन्कार नहीं करना चाहिए, जिसने गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति ले ली हो या विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया हो ।

2.2 विदेशी स्रोत

भारत में कोई संस्था/संघ किसी "विदेशी स्रोत" से अंशदान तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वे गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत हों या उन्होंने उक्त मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त की हो । उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए 'विदेशी स्रोत' की परिभाषा उक्त अधिनियम की धारा 2(ङ) में दी गयी है और उससे यह स्पष्ट है कि विदेश स्थित भारतीयों अर्थात् भारतीय नागरिकों द्वारा उपर्युक्त संस्थाओं/संघों को अंशदान के प्रयोजन से भेजे गये विप्रेषणों पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे । तथापि, भारतीय मूल के अनिवासी **विदेशी नागरिकों** द्वारा भारत में रखे गये एनआरई और एफसीएनआर खातों के माध्यम से दिये गये अंशदानों पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और इन अंशदानों को 'विदेशी स्रोत' माना जाएगा । इसके परिणामस्वरूप, 'विदेशी स्रोत' से अंशदान स्वीकार करने के पहले प्राप्तकर्ता संघों/संस्थाओं को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा अथवा केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

2.3 सामान्य

i) बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे संघों/संस्थाओं के खातों पर विशेष रूप से नजर रखने के लिए अपनी सभी शाखाओं को सूचित करें तथा इनके द्वारा अधिनियमों के प्रावधानों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन किये जाने पर, इसे गृह मंत्रालय के ध्यान में तत्काल लाएं ।

ii) विदेशी मुद्रा में लेनदेन का कार्य करनेवाली बैंक की सभी शाखाओं से अपेक्षित है कि वे भारत सरकार को एक अर्ध-वार्षिक विवरण भेजें जिसमें उक्त अधिनियम के अंतर्गत संघों/संस्थाओं के खातों में आगे जमा करने के लिए प्राप्त विदेशी अंशदानों के ब्योरे दिये गये हों । सरकार ने सूचित किया है कि बैंक गृह मंत्रालय को नियमित रूप से यह जानकारी प्रस्तुत नहीं करते हैं । यह जानकारी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि बैंकिंग माध्यम से प्राप्त विदेशी दानों का कुछ हिस्सा गैर कानूनी कार्यकलापों के निधीयन के लिए उपयोग में लाये जाने की आशंका है । अतः, भारत सरकार ने बैंकों द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुपालन में की गयी चूकों को गंभीरता से लिया है ।

iii) बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपनी सभी शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों को इन अनुदेशों के साथ अवगत कराएं कि वे जारी किये गये अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें । बैंकों को संबंधित नियंत्रक कार्यालयों के माध्यम से शाखाओं के अनुपालन की निगरानी तथा इस संबंध

में पायी गयी चूक का दायित्व निर्धारित करने की एक प्रणाली भी विकसित करनी चाहिए ।

2.4 विदेशी अंशदान प्राप्त करने की प्रक्रिया

इस संबंध में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कई बार यह सूचित किया गया है कि वे एफसीआरए, 1976 के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन करें । इस संबंध में पूर्व में जारी किये गये परिपत्रों की सूची संलग्न है । यह दोहराया जाता है कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि एफसीआरए, 1976 के प्रावधानों के उल्लंघन को टाला जाता है तथा विदेशी अंशदान प्राप्त करते समय नीचे दर्शायी गयी क्रियाविधि का अनुपालन किया जाता है । तदनुसार,

(क) एफसीआरए, 1976 की धारा 4 तथा 5 के अंतर्गत आनेवाली कंपनियों के खातों में विदेशी अंशदान स्वीकार करने से पहले बैंकों को इस बात पर बल देना चाहिए कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई है;

(ख) विदेशी अंशदानों के रूप में प्राप्त होनेवाले चेकों/ड्राफ्टों की राशि को वे केवल तभी जमा करें जब एसोसिएशन आदि उक्त अधिनियम की धारा 6 में दर्शाए गये अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पास पंजीकृत किये गये हैं;

(ग) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत यदि कोई एसोसिएशन पंजीकृत नहीं किया गया है तो विदेशी अंशदान की विशिष्ट राशि स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्वानुमति सूचित करने वाला गृह मंत्रालय का पत्र प्रस्तुत करने पर वे बल दें ;

(घ) वे ऐसे एसोसिएशनों के खाते में कोई राशि जमा न करें जो विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी अंशदान स्वीकार करने के प्रयोजन से गृह मंत्रालय के पास अलग से पंजीकृत नहीं हैं;

(ङ) वे उन एसोसिएशनों के खाते में कोई राशि जमा न करें जिन्हें यह निदेश दिया गया है कि वे केवल केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद ही विदेशी अंशदान प्राप्त करें;

(च) राजनीतिक स्वरूप के संगठनों, जो कि राजनीतिक दल (उनकी शाखाओं और इकाइयों सहित) नहीं हैं, को चेक /मांग ड्राफ्ट आदि से प्राप्त राशियों को जमा करने की वे तब तक अनुमति न दें, जब तक कि ऐसे संगठनों द्वारा विदेशी

अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत केंद्र सरकार की पूर्वानुमति दर्शाने वाला पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है;

(छ) विभिन्न एसोसिएशनों को गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी पंजीकरण संख्या को संबंधित अभिलेखों में, विशेषतः उन खाता-बहियों के पन्नों पर, जिनमें एसोसिएशनों के विदेशी अंशदान खातों को रखा जाता है, बैंकों को नोट करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि ऐसे एसोसिएशनों को कोई अनावश्यक परेशानी नहीं होती है ।

2.5 केंद्र सरकार को आवधिक सूचना देना

विद्यमान अनुदेशों के अनुसार विदेशी मुद्रा में लेनदेन का कार्य करने वाली बैंक की सभी शाखाओं से संलग्न फॉर्मेट में प्रति वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारत सरकार को एक अर्ध-वार्षिक विवरण भेजना अपेक्षित है, जिसमें संबंधित एसोसिएशनों/संगठनों के खातों में जमा करने के लिए प्राप्त अंशदानों के ब्योरे दिये गये हों । ऐसे विवरण छमाही समाप्त होने के दो महीनों के भीतर भारत सरकार को प्रस्तुत करने होते हैं ।

2.6 पायी गयी सामान्य अनियमितताएं

इस संबंध में पायी गयी कुछ अनियमितताएं निम्नानुसार हैं :

(क) विदेशी अंशदानों के लेनदेन का कार्य करने के लिए कतिपय संघ उसी शाखा में अथवा विभिन्न शाखाओं में एक से अधिक खाते (पंजीयन के लिए प्रस्तुत पत्र में विनिर्दिष्ट खाते से भिन्न) परिचालित करते हुए पाये गये ।

(ख) कतिपय संघों को पंजीकृत हुए बिना ही अथवा उनके द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही विदेशी अंशदानों के चेक/ड्राफ्ट जमा करने तथा उसके आहरण की अनुमति दी गयी ।

(ग) इस तथ्य के बावजूद कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (क) और (ख) के अंतर्गत किसी संघ को निषिद्ध श्रेणी में अथवा पूर्वानुमति श्रेणी में रखने के आदेशों की प्रतिलिपियां बैंक शाखाओं को भेजी गयी थीं, उन्होंने सरकार से पूर्वानुमोदन लिए बिना ही उक्त संघों को विदेशी अंशदानों को जमा/आहरित करने की अनुमति दी ।

भारत सरकार द्वारा कई अवसरों पर हमारे ध्यान में यह बात लायी गयी है कि बैंकों की शाखाएँ एफसीआरए, 1976 के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन नहीं करती हैं तथा धारा 6 (1) और धारा 5 (1) द्वारा विनियंत्रित कंपनियों द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही विदेशी अंशदान प्राप्त किये गये हैं । अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस परिपत्र में दिये गये अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करें ।

अनुबंध-1

विदेशी अंशदान (विनियमयन) अधिनियम, 1976 के अधीन आनेवाले
एसोसिएशनों द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदानों का ब्यौरा

.... को समाप्त छमाही के लिए विवरण

बैंक की शाखा का नाम एवं पता ....

क्र. सं.	एसोसिएशन का नाम एवं पता और खाता संख्या	एफसी ‹ अधिनियम, 1976 के अधीन पंजीयन संख्या	वि. अ. (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति देने वाले पत्र/पत्रों की संख्या एवं तारीख	खाते में जमा होने की तारीख	राशि (रुपयों में)	दानदाताओं के ब्यौरे, यदि उपलब्ध हों
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

अनुबंध - II

मास्टर परिपत्र में समेकित किये गये परिपत्रों की सूची

1.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी	18/सी. 469 (डब्ल्यू)-85	दिनांक 22.02.1985
2.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी	12/सी. 469 (डब्ल्यू)-87	दिनांक 21.07.1987
3.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी	39/सी. 469 (डब्ल्यू)-88	दिनांक 15.10.1988
4.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी	123/सी. 469 (डब्ल्यू)-90	दिनांक 02.07.1990
5.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी	88/21.01.023/94	दिनांक 16.07.1994
6.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी	108/21.01.023/98	दिनांक नवंबर 1998
7.	बैंपविवि. सं. बीपी. सीएस. बीसी	1/21.01.023/99	दिनांक 28.07.1999
8.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी	118/21.01.023/99	दिनांक 02.11.1999
9.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी	74/21.01.023/2001	दिनांक 01.02.2001
10.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी	04/21.01.023/2001	दिनांक 31.07.2001
11.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी	22/21.01.023/2001	दिनांक 01.09.2001
12.	बैंपविवि. सं. बीपी.	2573/21.01.023/97	दिनांक 22.04.1997
13.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी	58/21.01.023/2001-02	दिनांक 17.01.2002
14.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी	67/21.01.023/2001-02	दिनांक 14.02.2002

15.	बैंपविवि. सं. एएमएल. बीसी	67/14.01.055/2004-05	दिनांक 04.01.2005
16.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं	20/14.01.055/2006-07	दिनांक 11.07.2006
17.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं	03/14.08.001/2007-08	दिनांक 02.07.2007
18	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं	8/14.08.001/2007-08	दिनांक 01.07.2008
19	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं	1/14.08.001/2009-10	दिनांक 01.07.2009